[2021] 7 एस. सी. आर. 226

एम/एस। सर्वोच्च भिवंडी वाडा प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 680)

26 जुलाई, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.438 अग्रिम जमानत

- अपीलार्थी-शिकायतकर्ता को सड़क निर्माण का ठेका दिया गया था-चार अभियुक्तों को अपीलार्थी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया था और सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूची के आधार पर किसानों की पहचान करने और दावे की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद उन्हें मुआवजा वितरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अपीलार्थी ने चार अभियुक्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त लगभग 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में शामिल थे। 5. 08 करोड़ द्वारा

भूमि पर कब्जा करने वालों से संबंधित दस्तावेजों को गढ़ना और ग्रामीणों को मामूली भुगतान करना।

निचली अदालत ने

दिया आदेश

एस के तहत जांच। 156 (3) संहिता-एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी-सभी चार अभियुक्त व्यक्तियों को उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी गई थी।

शिकायतकर्ता द्वारा अपील-आयोजितः एस के तहत मजिस्ट्रेट का आदेश। 156 (3)

-

उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन नहीं था और प्राप्त किया था

अंतिमता-उच्च न्यायालय एस के तहत आदेश की शुद्धता के बारे में संदेह उठाने में गलती कर रहा था। 156 (3) मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत पर विचार करने के क्रम में पारित किया गया-दूसरा, उच्च न्यायालय के आदेश में निर्धारित कानूनी स्थिति सीआरपीसी के अध्याय XV के संदर्भ में लगातार प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी-उच्च न्यायालय, कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत देने में-अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी के गंभीर आरोप थे।

शिकायतकर्ता द्वारा किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण के काम से प्रभावित किसानों को भुगतान की जाने वाली राशि का गबन-शिकायत में धोखाधड़ी और धन के गबन के कथित कृत्यों का विवरण दिया गया है-गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपों में से, अग्रिम जमानत का कोई मामला नहीं बनाया गया था।

226 एम/एस। सुपर भिवंडी वाडा मैनर इन्फ्रा। पी. वी. टी. लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः उच्च न्यायालय, के तहत अग्रिम जमानत देने में

पहली दो अपीलों में धारा 438 और साथी अपीलों में सत्र न्यायाधीश के आदेश की चुनौती का निपटारा करने में उस आदेश का पालन करते हुए, स्पष्ट रूप से कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता की दृष्टि खो दी है। उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। प्रत्यर्थी-धोखाधड़ी के दुरुपयोग का आरोपी

कंपनी द्वारा किसानों को भुगतान की जाने वाली राशि

शिकायतकर्ता द्वारा किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण के काम से प्रभावित। एफ. आई. आर. धोखाधड़ी के कथित कृत्यों का विवरण निर्धारित करती है।

और धन का दुरुपयोग। आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत का कोई मामला नहीं बनाया गया था। उच्च न्यायालय ने कानून और तथ्यों के मूल्यांकन दोनों में गलती की है। [पारस 22,23] [238-ई-एफ; 239-डी-एफ]

सुरेश चंद जैन बनाम। एम. पी. राज्य (2001) 2 एस. सी. सी.

628 : [2001] 1 एस. सी. आर. 257; दिलावर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (2007) 12 एस. सी. सी. 641; तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य (2011) 15 एस. सी. सी. 571; अंजू

चौधरी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 6 एससीसी 384 : [2012] 13 एससीआर 901; सुशीला अग्रवाल बनाम। राज्य एन. सी. टी.

15 दिल्ली (2020) 5 एस. सी. सी. 1: [2020] 2 एस. सी. आर. 1; मायकला

धर्मराजम बनाम। तेलंगाना राज्य (2020) 2 एससीसी

743 उल्लेख किया गया है -

मामला कानून संदर्भ

[2001] 1 एससीआर 257

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

(2007) 12 एस. सी. सी. 641

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

(2011) 15 एस. सी. सी. 571

पै

रा 19

संदर्भित किया गया है

[2012] 13 एससीआर 901

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

[2020] 2 एससीआर 1

पै

रा 22

संदर्भित किया गया है

(2020) 2 एस. सी. सी. 743

संदर्भित किया गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

680 2021 का

2017 के अग्रिम जमानत आवेदन No.85 में बॉम्बे में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांकित 18.12.2017 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 681 , 682 और 2021 का 683

दिनेश तिवारी, सुश्री जयक्रिती एस. जडेजा, अंश कर्णावत, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए पांडे, जियो जोसेफ, जितेंद्र कुमार, डॉ. आर. आर. देशपांडे, सुश्री प्राची देशपांडे, सुश्री प्रियंका

देशपांडे, नितिल लोनकर, सुश्री सोनाली सूर्यवंशी, शैंकी अग्रवाल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. चार अपीलों के इस समूह में समान मुद्दे शामिल हैं और इन पर एक साथ सुनवाई की गई। पहली दो अपील बॉम्बे में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 18 दिसंबर 2017 के एक आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिसके द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय की धारा 438 के तहत दो अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की जाती हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ("सीआरपीसी") की अनुमति दी गई थी।

2. इन आवेदनों का विवरण इस प्रकार हैः

2016 की अग्रिम जमानत (आवेदन) सं. 1971

((i)

नीलेश दयानंद चुम्बले; और

(ii) 2017 की अग्रिम जमानत (आवेदन) संख्या 85

मयूर जयंतीलाल अनम।

3. सीआरपीसी की धारा 438 के तहत उपरोक्त आवेदनों पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर शिकायतकर्ता द्वारा सवाल उठाया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत पहली दो विशेष अनुमति याचिकाओं 1 से उत्पन्न अपीलों में। शेष दो अपीलों में (विशेष अनुमति याचिकाओं 2) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 18 दिसंबर 2017 को ऊपर उल्लिखित दो आवेदनों में अग्रिम जमानत देने के आदेश का पालन किया और (i) दिवाकर वामन को सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने के लिए शिकायतकर्ता की चुनौती का निपटारा किया।

पाटिल; और (ii) हेमंत हरिभाउ सोनावने।

4. जिन व्यक्तियों को पहली दो अपीलों में अग्रिम जमानत दी गई है, वे पहले आरोपी मयूर जयंतीलाल अनम हैं।

1 2018 का एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) सं. 3155; और 2018 का एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) सं. 3156 2 2018 का एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) सं. 2617; और 2018 का एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) सं. 2628।

(" ए 1 "), और चौथा आरोपी नीलेश दयानंद चुम्बले (ए 4)। दो सहयोगी अपीलों में, सत्र अदालत द्वारा दूसरे आरोपी, हेमंत हरिभाउ सोनावने, ("ए 2") और तीसरे आरोपी, दिवाकर वामन पाटिल ("ए 3") को अग्रिम जमानत देने का मुद्दा था।

5. अपीलार्थी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में संलग्न है। अपीलार्थी को एक सड़क के निर्माण के लिए अनुबंध दिया गया था जिसका वर्णन इस प्रकार किया गया हैः

(किमी. 0/000 से 7/900, कुल लंबाई 7.9 किमी), भिवंडी तालुका, जिला। ठाणे "। चार आरोपी जिन्हें दूसरे प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है

इन अपीलों को अपीलार्थी द्वारा अपने कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया था। में। सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के तहत शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार, अल को महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। ए 2, ए 3 और ए 4 क्रमशः संपर्क अधिकारी, संपर्क सहायक और वरिष्ठ संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। यह आरोप लगाया गया है कि उनकी जिम्मेदारियों में सरकार द्वारा प्रदान की गई सूची के आधार पर किसानों की पहचान करना शामिल है

अधिकारियों को और दावों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद उन्हें मुआवजा वितरित करना।

6. एक कथित धोखाधड़ी का पता चलने के बाद अपीलार्थी ने मुंबई के पवई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद, इसने मुंबई के अंधेरी में मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई।

7. 11 मई 2016 को, 66 वीं अदालत, अंधेरी, मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आदेश पारित किया।

पुलिस को शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया। सुविधा के लिए

संदर्भ में, मजिस्ट्रेट का आदेश नीचे दिया गया हैः

" शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई प्रासंगिक शिकायत। मेसर्स सुप्रीम

भिवंडी वाड़ा मनोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड इसके माध्यम से

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री उदय प्रभाकर जोशी,

उसका शपथ पत्र। सुना Ld। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री के. के. शुक्ला। अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन। शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर वाड़ा भिवंडी राज्य राजमार्ग संख्या 35, राज्य राजमार्ग मनोर-वाडा संख्या 34 और सड़क निर्माण के भिउनार वाडा जंक्शन पर स्थित भूमि के संबंध में झूठे दस्तावेज तैयार किए। शिकायतकर्ता द्वारा आगे यह आरोप लगाया गया है कि, [2021] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियुक्त संख्या 1 और 2 ने अभियुक्त संख्या 3 से 12 की मिलीभगत से शिकायतकर्ता को भाग लेने और अभियुक्त संख्या 3 से 9 को राशि का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उन्हें भूमि मालिक दिखाया गया। यह आगे कथित शिकायतकर्ता है कि, अभियुक्तों ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट तैयार की है और जाली दस्तावेजों का असली के रूप में उपयोग किया है। आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कथित अपराधों के समर्थन में, जो प्रकृति में संज्ञेय हैं, इस मामले में आवश्यक जांच। तदनुसार, मैं पास हो गया आदेश का पालन करें।

आदेश

1

वर्तमान मामला जांच के लिए पवई पुलिस को भेजा जाए

स्टेशन।

2

संबंधित पुलिस अधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया जाता है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत मामला,

और जल्द से जल्द रिपोर्ट दाखिल की।

केवल मामले को जाँच के लिए भेजने की प्रार्थना है इसलिए यह

3

विविध अनुप्रयोग के रूप में माना जाता है और तदनुसार, यह

अंत में निकाल दिया।

8. मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद, 24 मई 2016 को पवई के पास 2016 की प्राथमिकी संख्या 2 के रूप में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 418,419,420,405,467,468,471,474,120 बी के तहत कथित अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन।

9. आरोप का सार यह है कि अभियुक्तों ने किसानों को उनकी भूमि के लिए दिए गए चेक नहीं सौंपे।

कि 2015 में, कंपनी ने प्रभावित किसान को देय भूमि अधिग्रहण राशि के वितरण का काम प्रतिवादी-अभियुक्त सहित पांच कर्मचारियों को सौंप दिया था, जो वाडा और वाडेप जंक्शन के बीच सड़क निर्माण परियोजना के काम में लगे हुए हैं। यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के इरादे से भूमि अधिग्रहण के आवश्यक कागजात संलग्न किए बिना "66 नकली और फर्जी किरायेदार" बनाए। लाभ, जिसके परिणामस्वरूप रुपये 87,76,755 की धोखाधड़ी हुई। शिकायत के साथ कथित रूप से गबन

की गई राशि का विवरण भी दिया गया था। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त ने बारह किसानों की मदद से एक्सट्रैक्ट्स, मेजरमेंट शीट और पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज़ तैयार किए थे और किसानों को मुआवजा देने के उद्देश्य से चेक द्वारा 68 लाख रुपये (लगभग) की राशि निकाली थी। हालांकि, एम/एस।

सुपर भिवंडी वाडा मैनर इन्फ्रा। पी. वी. टी. लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय चंद्रचूड़, जे।]

आरोप है कि राशि का दुरुपयोग किया गया था। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया है कि 2014 और 2015 के बीच, अभियुक्तों ने ग्राम भूमि और वन भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत वडपे, भीनार, गोरसाई, निम्बावली और कावाडिन के प्रमाण पत्र बनाए थे, जिसमें नौ व्यक्तियों के नाम दिखाए गए थे और धोखाधड़ी से उनके नाम के खिलाफ लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की राशि जमा की थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने 10 नकली निवासियों के नाम पर रुपये की राशि निकाली। 1,84,30,400 उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए दस्तावेजों को जाली बनाकर और गढ़कर। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी संबंधित दस्तावेजों को गढ़कर लगभग 5 करोड़ 28 लाख रुपये की धोखाधड़ी में भी शामिल थे।

भूमि के अधिभोगियों को और ग्रामीणों को नाममात्र का भुगतान करना।

10. प्राथमिकी में नामित दो अभियुक्तों ने अग्रिम जमानत देने के लिए सत्र न्यायालय का रुख किया। 13 फरवरी 2017 और 16 फरवरी 2017 के अपने आदेशों के अनुसार, सत्र न्यायालय ने ए 2 और ए 3 को अग्रिम जमानत दे दी। ए 1 और ए 4 द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन भी दायर किए गए थे।

11. 24 जनवरी 2017 को, उच्च न्यायालय ने ए 1 को गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। उच्च न्यायालय ने अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

12. उच्च न्यायालय ने दो अनुच्छेदों के एक संक्षिप्त आदेश में अग्रिम जमानत देने को उचित ठहराया है, जिसे निकालना सुविधाजनक होगा। वर्तमान चरण। उच्च न्यायालय ने कहाः

" 2. रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि शिकायतकर्ता श्री उदय जोशी ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत, अंधेरी, मुंबई में 66 'एच अदालत में C.C.No.506/एसडब्ल्यू/2015 वाली शिकायत दर्ज कराई है। संबंधित न्यायालय
द्वारा धारा 153 (3) के तहत आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के अनुसरण में, वर्तमान अपराध No.02/2016 पवई पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किया गया है। पुलिस उक्त अपराध में आवेदकों की हिरासत की मांग कर रही है, जो Cr.P.C की धारा 156 (3) के तहत पारित आदेश के अनुसरण में दर्ज है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। अभिलेख इंगित करता है कि, प्रथम सूचना देने वाले द्वारा दायर की गई शिकायत का समर्थन 1 के साथ किया गया था जो कि शपथ पत्र है

06.02.2016 और धारा [2021] 7 एस. सी. आर. के तहत विचार किए गए कानून का अधिदेश।

200 Cr.P.C. अर्थात उक्त शिकायतकर्ता से पूछताछ नहीं की गई है।

संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा शपथ।

3. Cr.P.C की धारा 200 के तहत विचार किए गए कानून के मूल सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है, यह संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा Cr.P.C की धारा 156 (3) के तहत पारित उक्त आदेश के जारी होने की वैधता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। इसके अलावा

ए. आई. आर. 2011 सुप्रीम कोर्ट 312 में रिपोर्ट किया गया, और विशेष रूप से उक्त निर्णय के अनुच्छेद 112 (v) में इस न्यायालय का विचार है कि -

आवेदकों के खिलाफ आरोप केवल उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें घायल करने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

शिकायतकर्ता इस अदालत में अपील कर रहा है।

13. नोटिस शुरू में 28 मार्च 2018 को जारी किया गया था। आर. डी. आर. द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में, महाराष्ट्र राज्य और प्रतिवादी दोनों उपस्थित हुए हैं। हमने सलाह सुनी है।

14. अपीलार्थियों की ओर से श्री दिनेश ने यह आग्रह किया है

री और सुश्री जयक्रिती एस जडेजा, विद्वान वकील हैं कि

((i)

उच्च न्यायालय प्रतिबंधात्मक जमानत देने में भी विफल रहा प्रथम दृष्टया आरोपों की प्रकृति और गंभीरता पर ध्यान दें

अभियुक्त के विरुद्ध;

((ii) मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत एक आदेश पारित कर शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया और तदनुसार 24 मई 2016 को पवई पुलिस स्टेशन द्वारा 2016 की प्राथमिकी संख्या 2 दर्ज की गई। (iii) उच्च न्यायालय का आदेश इस आधार पर आगे बढ़ता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के आदेश का पालन नहीं किया गया है।

मजिस्ट्रेट के साथ क्योंकि शिकायतकर्ता से पूछताछ नहीं की गई थी

शपथ पर;

(iv) उच्च न्यायालय, इस दृष्टिकोण को लेते हुए, इस न्यायालय के उन निर्णयों पर ध्यान देने में विफल रहा है जिन्होंने कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है कि मजिस्ट्रेट धारा 200 के तहत शिकायत का संज्ञान लेने से पहले धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देना उचित है और पुलिस द्वारा जांच की प्रकृति जो मजिस्ट्रेट धारा 202 के तहत आदेश दे सकता है, उससे अलग है।

धारा 156 (3) के तहत शक्ति; एम/एस।

(v) किसी भी स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देने के आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई थी।

और इसलिए उच्च न्यायालय के लिए इसकी वैधता पर संदेह करने का कोई अवसर नहीं था; और

(vi) उच्च न्यायालय ने संबंधित पुलिस थाने में उपस्थित होने के लिए अंतरिम आदेश में लगाई गई शर्त को भी माफ कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप जांच को विफल कर दिया गया है।

15. दूसरी ओर श्री आर. आर. देशपांडे, विद्वान वकील

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया कि

अभियुक्तों को एक अंतरिम आदेश द्वारा गिरफ्तारी से बचाया गया था।

((i)

दिनांक 16 फरवरी 2017 और 24 जनवरी 2017 और वे थे

कई मौकों पर जाँच के लिए बुलाया गया;

((ii) अभियुक्त ने जाँच में सहयोग किया है, अनुदान में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं होगा।

उन आदेशों के अनुसरण में अग्रिम जमानत जो दिए गए हैं

लगभग साढ़े तीन साल पहले गुजर गया; और

(iii) धारा 202 के प्रावधानों की व्याख्या पर उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है, धारा 202 की उप-धारा (1) के परंतुक को ध्यान में रखते हुए, जिसके तहत पुलिस द्वारा जांच का आदेश केवल शिकायतकर्ता का बयान दर्ज होने के बाद ही दिया जा सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200।

इन प्रस्तुतियों को अन्य मामलों में भी अपनाया गया है।

16. जिस प्राथमिक आधार पर उच्च न्यायालय ने धारा 438 के तहत आवेदनों को अनुमति दी है, वह यह है कि प्रथम द्वारा दायर शिकायत

सूचना देने वाले का समर्थन 6 फरवरी 2016 के एक हलफनामे द्वारा किया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि शिकायतकर्ता से शपथ पर पूछताछ करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के आदेश को मजिस्ट्रेट द्वारा पूरा नहीं किया गया है। इस आधार पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह धारा 156 (3) के तहत पारित आदेश की वैधता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। 17. एकल न्यायाधीश के विचार में एक गंभीर त्रुटि है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश

को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी और इसे अंतिम रूप दिया गया है। उच्च न्यायालय शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत पर विचार करने के दौरान 11 मई 2016 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित धारा 156 (3) के तहत आदेश की शुद्धता के बारे में संदेह जताने में गलती कर रहा था।

एकल न्यायाधीश के आदेश में दी गई विधि की स्थिति उन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है जो इस न्यायालय के निर्णयों में विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XV के संदर्भ में लगातार प्रतिपादित किए गए हैं। धारा 200 और 202, जो अध्याय XV का एक हिस्सा हैं,

नीचे निकाला गया है:

" 200. शिकायतकर्ता की जाँच। - एक मजिस्ट्रेट ले रहा है

शिकायत पर अपराध का संज्ञान शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों, यदि कोई हो, की शपथ लेने पर जांच करेगा और ऐसी जांच का सार लिखित होगा और शिकायतकर्ता और गवाहों और मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे: बशर्ते कि, जब शिकायत लिखित रूप में की जाती है, तो मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है-(ए) यदि कोई लोक सेवक जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करने का इरादा रखता है या अदालत ने शिकायत की है; या (बी) यदि मजिस्ट्रेट जांच या मुकदमे के लिए मामले को दूसरे को सौंपता है।

धारा 192 के तहत मजिस्ट्रेट: बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ करने के बाद धारा 192 के तहत किसी अन्य मजिस्ट्रेट को मामला सौंपता है, तो बाद वाले मजिस्ट्रेट को उनकी फिर से जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

202. प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करना। (1) कोई मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे अपराध की शिकायत की प्राप्ति पर, जिसका वह संज्ञान लेने के लिए अधिकृत है या जिसे धारा 192 के तहत उसे सौंप दिया गया है, यदि वह उचित समझता है, और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से परे किसी स्थान पर रह रहा है जिसमें वह अपना अपराध करता है।

अधिकारिता, अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करना, और

या तो स्वयं मामले की जांच करें या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश दें जो वह उचित समझे, यह तय करने के उद्देश्य से कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।

बशर्ते कि जाँच के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा, (क) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि शिकायत किया गया अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है; या (ख) जहां शिकायत किसी न्यायालय द्वारा नहीं की गई है, जब तक कि शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों (यदि कोई हो) की धारा 200 के तहत शपथ पर जाँच नहीं की गई हो। (2) उप-धारा (1) के तहत जांच में, मजिस्ट्रेट, यदि वह उचित समझता है, तो गवाहों का साक्ष्य ले सकता है।

शपथ: बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि शिकायत किए गए अपराध की सुनवाई विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा की जा सकती है, तो वह एम/एस।

शपथ पर उनकी जाँच करें। (3) यदि उप-धारा (1) के तहत जांच किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो उसे
कि एक अधिकारी को इस संहिता द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों की जांच करें

बिना गिरफ्तारी के शक्ति को छोड़कर एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी

आदेश "।

18. सुरेश चंद जैन बनाम में इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों के फैसले में इन प्रावधानों की व्याख्या की गई है। एम. पी. राज्य 3.धारा 156 (3) 4 के प्रावधान को स्वीकार करने के बाद, न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस ने कहा,

दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहाः

" 8. उसमें निर्दिष्ट जांच एक ही जांच है, इसके लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न कदमों को संहिता के अध्याय XII में विस्तार से बताया गया है। इस तरह की जांच शुरू होगी

पुलिस के प्रभारी अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में प्रविष्टि

स्टेशन, से संबंधित जानकारी के सार का

संज्ञेय अपराध करना। शुरू हुई जांच

इसके बाद केवल पुलिस द्वारा दायर रिपोर्ट के साथ समाप्त हो सकता है

संहिता की धारा 173 में दर्शाया गया है। जांच में

उस अध्याय में विचार पुलिस द्वारा शुरू किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी। लेकिन ऐसा नहीं है

इसका मतलब है कि जब एक मजिस्ट्रेट के तहत एक जांच का आदेश देता है

धारा 156 (3) यह एक अलग तरह की जाँच होगी। इस तरह की जांच भी केवल रिपोर्ट के साथ समाप्त होनी चाहिए।

संहिता की धारा 173 में विचार किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देता है

बारहवें अध्याय के तहत वह संज्ञान लेने से पहले ऐसा करता है

अपराध "। (जोर दिया गया)

विशेष रूप से अध्याय XV के प्रावधानों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि एक बार जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान लेता है, तो

3 (2001) 2 एस. सी. सी. 628 4 सी. आर. पी. सी. की धारा 156 नीचे दी गई हैः

" 156. संज्ञेय मामलों की जाँच करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। (1) पुलिस स्टेशन का प्रभारी कोई भी अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी भी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है, जिसे ऐसे स्टेशन की सीमा के भीतर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय को अध्याय XIII के प्रावधानों के तहत जांच करने या मुकदमा चलाने की शक्ति होगी। (2) ऐसे किसी भी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी भी कार्यवाही पर किसी भी स्तर पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि मामला ऐसा था जिसे ऐसा अधिकारी अधिकृत नहीं था।

इस धारा के तहत जाँच करना। (3) धारा 190 के तहत सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट ऊपर उल्लिखित इस तरह की जांच का आदेश दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अध्याय XV में वर्णित प्रक्रिया का पालन करना होगा। मजिस्ट्रेट धारा 202 (1) के तहत या तो एक पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो जांच का निर्देश दे सकता है, वह मजिस्ट्रेट को यह तय करने में सक्षम बनाने के सीमित उद्देश्य के लिए है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। न्यायालय ने कहाः

" 9. लेकिन एक मजिस्ट्रेट को इस तरह की किसी भी जांच का आदेश देने की आवश्यकता नहीं है यदि वह

अपराध का संज्ञान लेने का प्रस्ताव करता है। एक बार वह लेता है अपराध का संज्ञान लेने पर उसे संहिता के अध्याय XV में परिकल्पित प्रक्रिया का पालन करना होगा। संहिता की धारा 202 (1) को पढ़ने से यह विश्वास होगा कि उसमें निर्दिष्ट जांच सीमित प्रकृति की है। मजिस्ट्रेट इस तरह की जांच किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने का निर्देश दे सकता है। इस तरह

जाँच केवल मजिस्ट्रेट को यह तय करने में मदद करने के लिए है कि आगे बढ़ने के लिए उसके पास पर्याप्त आधार है या नहीं। इसे धारा 202 (1) के अंतिम शब्दों से समझा जा सकता है।

" या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश देना जो वह उचित समझे, यह तय करने के उद्देश्य से कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने पहले ही शिकायत में बताए गए अपराध का संज्ञान ले लिया है और उसके बाद मामले का अधिकार क्षेत्र उसके पास होगा।

कानूनी स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया गया हैः

" 10. इस प्रकार स्थिति स्पष्ट है। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपराध का संज्ञान लेने से पहले, संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश दे सकता है। यदि वह ऐसा करता है, तो उसे शिकायतकर्ता से शपथ पर पूछताछ नहीं करनी है क्योंकि वह किसी भी बात का संज्ञान नहीं ले रहा था उसमें अपराध। पुलिस को जांच शुरू करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट के लिए खुला है कि वह पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे। ऐसा करने में कुछ भी अवैध नहीं है। आखिरकार, एक एफ. आई. आर. के पंजीकरण में केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी के सार को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा रखी गई पुस्तक में दर्ज करने की प्रक्रिया शामिल है, जैसा कि संहिता की धारा 154 में दर्शाया गया है। भले ही कोई मजिस्ट्रेट निर्देश देते समय इतने शब्दों में न कहे

संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच कि एक प्राथमिकी होनी चाहिए

दर्ज किया जाए, तो यह पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य है कि वह मेसर्स द्वारा प्रकट किए गए संज्ञेय अपराध के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करे।

शिकायत द्वारा क्योंकि वह पुलिस अधिकारी इसके बाद ही संहिता के अध्याय XII में विचार किए गए आगे के कदम उठा सकता था।

19. उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत का इस न्यायालय के कई निर्णयों में पालन किया गया है। दिलावर सिंह बनाम। दिल्ली राज्य,

सुरेश चंद जैन (ऊपर) में निर्णय को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य 3, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया किः

" 12 ..... धारा 156 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने से पहले भी किया जा सकता है बशर्ते कि शिकायत संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती हो।

20. अंजू चौधरी बनाम। पीठ की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य के न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने कहा कि धारा 156 मुख्य रूप से संज्ञेय मामलों की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्तियों से संबंधित है। धारा 156 (3) के तहत आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेता है। मजिस्ट्रेट का आदेश अपने प्राथमिक कर्तव्य का पालन करने के लिए "पुलिस को एक पूर्व-खाली अनुस्मारक या सूचना" की प्रकृति में है और जाँच की शक्ति। अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति धारा 202 के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होती है और कहाः

" 40. फिर भी एक और स्थिति जो संभवतः उत्पन्न हो सकती है वह यह है कि मजिस्ट्रेट एक आवेदन के रूप में वर्णित शिकायत पर भी विचार करने और धारा 156 (3) के तहत आदेश पारित करने में सक्षम है, लेकिन जहां यह संज्ञान लेता है, वहां इसे संहिता के अध्याय XV के तहत आने वाली धारा 200 के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाने के लिए एक नियमित शिकायत के रूप में माना जाएगा। वहाँ भी मजिस्ट्रेट के पास एक पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली जाँच का निर्देश देने की शक्ति निहित है जो यह तय करने के उद्देश्यों के लिए उचित समझता है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। यह शक्ति प्रतिबंधित है और संहिता की धारा 156 (3) के तहत निहित शक्ति के रूप में व्यापक नहीं है। पुलिस द्वारा जाँच का आदेश देने के लिए संहिता की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति को धारा 202 द्वारा छुआ या प्रभावित नहीं किया गया है क्योंकि इन शक्तियों का प्रयोग संज्ञान लेने से पहले ही किया जाता है। दूसरे शब्दों में, धारा 202 केवल उन मामलों पर लागू होगी जहां मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है और मामले की जांच करने का विकल्प चुना है।

4 (2007) 12 एससीसी641 5 (2011) 15 एस. सी. सी. 571

6 (2013) 6 एससीसी 384 [2021] 7 एस. सी. आर.

स्वयं या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से शिकायत करें। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ मजिस्ट्रेट, लेने से पहले

स्वयं मामले का संज्ञान लेते हुए, संहिता की धारा 156 (3) के तहत एक शुद्ध और सरल जांच का आदेश देने का विकल्प चुनते हैं। ये मामले अलग-अलग श्रेणी में आते हैं। यह विचार इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा रमेशभाई पांडूराव हेडौ बनाम में भी लिया गया था। गुजरात राज्य [(2010)

4 एससीसी 185: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 801] इन दोनों शक्तियों के बीच का अंतर अंततः श्रीनिवास गुंडलुरी बनाम में इस न्यायालय के फैसले में भी कहा गया था। सेपको इलेक्ट्रिक पावर

निर्माण निगम। [(2010) 8 एससीसी 206: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 652]

जिसमें न्यायालय ने कहा कि: (एस. सी. सी पी. 218, पैरा 23)

" 23. ..... संहिता की धारा 156 (3) के तहत आगे बढ़ने के लिए, शिकायत को नंगे पढ़ने की आवश्यकता है और यदि यह एक संज्ञेय अपराध, फिर मजिस्ट्रेट अपना दिमाग लगाने के बजाय

यह तय करने के लिए कि क्या पर्याप्त है या नहीं

कार्यवाही के लिए आधार, पुलिस को जाँच के लिए निर्देश दे सकता है।

लेकिन जहां यह संज्ञान लेता है और यह तय करता है कि आगे बढ़ने का कोई आधार है या नहीं, तो यह एक मामला है।

यह संहिता के अध्याय XV के अंतर्गत आता है।

21. उच्च न्यायालय को स्पष्ट रूप से उपरोक्त निर्णयों से अवगत नहीं कराया गया है, क्योंकि यदि ऐसा होता, तो वह एक ऐसा सिद्धांत तैयार करने के लिए आगे नहीं बढ़ता जो इस न्यायालय की पूर्ववर्ती रेखा के विपरीत है।

22. उच्च न्यायालय ने पहली दो अपीलों में धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देते हुए और उस आदेश का पालन करते हुए सहयोगी अपीलों में सत्र न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाले मामले का निपटारा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि

कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता की दृष्टि खो दी। सुशीला अग्रवाल बनाम में यह न्यायालय। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) ने कहा है कि

विचार जो निम्नलिखित शर्तों में अग्रिम जमानत के अनुदान को नियंत्रित करना चाहिए:

जाँच, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ (गवाहों को डराने सहित), न्याय से भागने की संभावना (जैसे देश छोड़ना), आदि।

7 (2020) 5 एस. सी. सी. 1 एम/एस.

सुपर भिवंडी वाडा मैनर इन्फ्रा। पी. वी. टी. लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

92.4 . न्यायालयों को आम तौर पर अग्रिम जमानत देने या अस्वीकार करने पर विचार करते समय अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। देना है या नहीं, यह विवेकाधिकार का विषय है; समान रूप से क्या और यदि ऐसा है, तो किस तरह की विशेष शर्तें लगाई जानी हैं (या नहीं लगाई जानी हैं), यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है, और अदालत के विवेकाधिकार के अधीन है।

एक अपीलीय अदालत या एक उच्च न्यायालय जमानत देने के आदेश को रद्द कर सकता है यदि जमानत देने वाली अदालत ने प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं किया है। मियाकला धर्मराजम बनाम। तेलंगाना राज्य 3 इस न्यायालय ने

आयोजितः

" 9. यह एक सामान्य कानून है कि जमानत को उन मामलों में रद्द किया जा सकता है जहां जमानत देने का आदेश गंभीर दुर्बलता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है। यदि जमानत देने वाली अदालत अभियुक्त की प्रथम दृष्टया संलिप्तता का संकेत देने वाली प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी करती है या अप्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखती है, जिसकी अभियुक्त को जमानत देने के सवाल से कोई प्रासंगिकता नहीं है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय जमानत को रद्द करने में उचित होगा।

23. प्रत्यर्थी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं-उन पर भुगतान करने के उद्देश्य से राशि के धोखाधड़ीपूर्ण दुरुपयोग का आरोप है

शिकायतकर्ता द्वारा किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण के काम से प्रभावित किसानों को कंपनी। एफ. आई. आर. धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग के कथित कृत्यों का विवरण निर्धारित करती है, जैसा कि पहले बताया गया है। आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अग्रिम जमानत का कोई मामला नहीं बनाया गया था। उच्च न्यायालय ने कानून और तथ्यों के मूल्यांकन दोनों में गलती की है।

24. हम तदनुसार इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करते हैं। धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने का आदेश प्रत्यर्थी को-अभियुक्त तदनुसार अलग कर दिया जाएगा। अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।

25. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।

8 (2020) 2 एस. सी. सी. 743